

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा, (छ.ग.)

निविदा सूचना

क्रमांक / / निर्वा. / नि.प. / 2013

कोरबा दिनांक

विषय :- कोरबा जिले के सभी विधान सभाओं के मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र मुद्रण कार्य निविदा सूचना।

—00—

कोरबा जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी 04 विधान सभा क्षेत्र के 1049 भागों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के मुद्रण, कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करने हेतु इच्छुक एवं योग्य फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रारूप एवं निविदा की विस्तृत शर्तें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के (निर्वाचन शाखा) से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक 28.12.2013 दोपहर बाद 1.00 बजे तक किया जावेगा। रविवार या किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किया जावेगा। इच्छुक निविदाकार रूपया 500/- (पांच सौ) कार्यालय में नगद जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र कोरबा जिले की बेबसाईट www.korba.gov.in से भी डाउनलोड कर भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से प्राप्त निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय 500/- (पांच सौ रूपये) निविदा शुल्क (कैश/डिमांड ड्राफ्ट) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, निविदा शुल्क के अभाव में निविदा अमान्य किया जावेगा। पूर्णतया भरे हुए निविदा प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा के (निर्वाचन शाखा) में दिनांक 28.12.2013 को दोपहर 3.00 बजे से पहले पहुँच जाना चाहिए। दिनांक 28.12.2013 को ही शाम 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष गठित समिति द्वारा निविदा खोली जावेगी।

**कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला—कोरबा (छ.ग.)
कोरबा दिनांक**

पृ.क्रं. / / निर्वा. / नि.प. / 2013

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला, छ.ग. की ओर सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं सर्व तहसीलदार जिला कोरबा को विज्ञप्ति का सूचना पटल में प्रकाशनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कोरबा कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को इन्टरनेट के माध्यम से प्रकाशनार्थ।

**कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला—कोरबा (छ.ग.)**

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा,
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ)

मतदाता सूची मुद्रण निर्माण कार्य बाबत्।

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तारीख	27.12.2013 1.00 pm
निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय	28.12.2013 3.00 pm
निविदा खोलने की तारीख एवं समय	28.12.2013 4.00 pm
निविदा प्रपत्र क्रं	2189 दिनांक 13.12.2013
मूल्य	500 / -
कुल पृष्ठ संख्या	07 (सात)
जारी दिनांक	.12.2013
जारीकर्ता-	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा,
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)**

निविदा प्रपत्र

भाग-1

मतदाता सूची का मुद्रण कार्य बाबत।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2014 हेतु कोरबा जिले के सभी 4 विधान सभा के 1049 मतदान केन्द्रों के **मतदाता सूची का मुद्रण**, किया जाना है। इच्छुक एवं योग्य निविदाकारों से निम्न शर्तों के अधीन निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। कार्य विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा की शर्तें

1. यह दस्तावेज अहस्तांतरणीय है।
2. निविदा प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा के (निर्वाचन शाखा) से दिनांक 27.12.2013 दोपहर 1.00 बजे तक रु. 500/- जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र कोरबा जिले की वेबसाईट www.korba.gov.in से भी डाउनलोड कर भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से प्राप्त निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय 500/- (पांच सौ रुपये) निविदा शुल्क (कैश/डिमांड ड्राफ्ट) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, निविदा शुल्क के अभाव में निविदा अमान्य किया जावेगा।
4. पूर्णतया भरा हुआ निविदा प्रस्ताव दिनांक 28.12.2013 को दोपहर 3.00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के (निर्वाचन शाखा) में प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा प्रस्ताव स्पष्ट रूप से पूर्णतया भरा हुआ मुहर बन्द लिफाफे में जमा किया जावें। समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदा प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदाकार अथवा उनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के निविदा प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए।
6. निविदा प्रस्ताव में लिखी गई प्रत्येक प्रविष्टी स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए अंकों में लिखी गई जानकारी शब्दों में भी लिखी होनी चाहिए। निविदा प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का काट-छांट होने पर निविदाकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
7. निविदा प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रु. 25,000.00 (पच्चीस हजार) का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट कोरबा में भुगतान योग्य "कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा" के नाम संलग्न होना चाहिए। अमानत राशि के अभाव में निविदा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जावेगा।

8. निविदाकार को पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदाकार को मतदाता सूची के मुद्रण कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
10. पिछले तीन वर्षों के किसी भी एक वर्ष में कम से कम पचास हजार मतदाता फोटो परिचय पत्र निर्माण का प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
11. देयकों का भुगतान ई पेमेन्ट के माध्यम से किया जावेगा, फलस्वरूप देयक के साथ पेन नंबर एवं बैंक खाता नंबर संलग्न करने होंगे।
12. मतदाता सूची लेजर प्रिंटर से प्रिंट करने होंगे। किसी भी स्थिति में फोटोकापी मान्य नहीं होंगे।
13. निविदाकार को दस लाख पेज कम्प्यूटर लेजर प्रिंटिंग का कार्य अनुभव होना चाहिए।
14. निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म की वैधानिकता, क्षमता, एवं तकनीकी अनुभव उपलब्ध कम्प्यूट सिस्टम, प्रिंटर, तथा कार्य क्षमता आदि के बारे में विवरण पृथक से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. निविदाकार को भुगतान के समय आयकर एवं वाणिज्यकर की नियमानुसार कटौति की जावेगी।
16. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित की जावेगी। निविदाकार को नियत समय में कार्य पूर्ण कर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। चयनित वेण्डर द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर प्रति विधान सभा क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन विलम्ब के लिए राशि 1000.00 (एक हजार) ₹. के हिसाब से शासन क्षतिपूर्ति के रूप में वेण्डर द्वारा प्रस्तुत देयक से कटौति की जावेगी। तथा वेण्डर द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को भी राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
17. पेन नम्बर एवं टिन नम्बर की प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. इस निविदा प्रपत्र में तीन भाग हैं। भाग I, II, III, भाग I में निविदा का पूर्ण विवरण है, निविदाकार इस भाग का भलीभांति अध्ययन कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे। भाग II जिसमें निविदाकार का योग्यता के साथ पूर्ण जानकारी का उल्लेख किया जावे तथा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे। भाग III में निविदाकार द्वारा अंकों एवं शब्दों में प्रत्येक कार्य का पृथक-पृथक दर एवं संसाधनों का उल्लेख किया जाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
19. निविदाकार द्वारा अपना निविदा प्रस्ताव मूल फार्म में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निविदा प्रस्ताव A B C एवं D नामक चार मुहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भाग I पूर्णतया हस्ताक्षरित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट के साथ A लिफाफे में, भाग II पूर्णत हस्ताक्षरित B लिफाफे में भाग III जिसमें निविदा दर अंकित किया जावेगा C लिफाफे में मुहर बंद किया जाना है। A B C तीनों लिफाफे को D लिफाफे

मुंहर बंद किया जा कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के (निर्वाचन शाखा) में जमा किया जाना है।

20. निर्धारित तारीख एवं समय में सभी मुंहर बंद लिफाफा को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा द्वारा नियुक्त कमेटी द्वारा संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जावेगा। कमेटी समस्त पात्र निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दर की तुलना करने के उपरांत न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले योग्यतम निविदाकार का चयन करेगी। कमेटी अनुशंसा उपरांत कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम माना जायेगा।
21. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा आवश्यकता पड़ने पर दर कम करने के लिए पात्र निविदाकारों को नेगोशियेसन हेतु आमंत्रित कर सकेगा। सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
22. चयनित निविदाकार को निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर कुल कार्य के अनुमानित मूल्य का पांच प्रतिशत राशि सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। यह सुरक्षा राशि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा के नाम एवं कोरबा में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर के रूप में जमा किया जाना चाहिए। जमा सुरक्षा राशि अनुबंध की अवधि के लिए रखा जावेगा। कार्य की समाप्ति पर उसे लौटा दिया जावेगा।
23. जमा सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
24. संबंधित निविदाकार द्वारा निविदा शर्त अथवा उनके द्वारा निष्पादित अनुबंध के किसी शर्त के उलघन के लिए उनके द्वारा जमा सुरक्षा राशि पूर्णतः या भागतः राजसात किया जाएगा तथा उनका अनुबंध निरस्त किया जावेगा।

कार्य का स्वरूप

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार मतदाता सूची का मुद्रण कार्य किया जाना :-

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं साईजों में मतदाता सूची का मुद्रण किया जाना है।
2. मतदाता सूची के मुद्रण हेतु साफ्टवेयर कार्यालय से निविदाकार को प्रदाय किया जावेगा।
3. सभी 1049 मतदान केन्द्र के पी.डी.एफ. निविदाकार को डाऊन लोड करने होंगे।
4. मुद्रण कार्य समाप्त होते ही तत्काल साफ्टवेयर कार्यालय को वापस किया जाना होगा।
5. प्रदाय साफ्टवेयर कार्यालय द्वारा आदेशित मुद्रण कार्य के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाया जाना दण्डनीय होगा।
6. मुद्रण उपरांत प्रत्येक विधानसभा के मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची तैयार कर व्यवस्थित रूप से पिनअप कर निविदाकार द्वारा अलग-अलग सेटों में कार्यालय को प्रदाय किया जाना होगा।
7. आदेश प्राप्ति के सात दिवस के भीतर मुद्रण कार्य पूर्ण किया जाना होगा।
8. बचे हुए शेष मतदाताओं के फोटो प्राप्त कर मतदाता फोटो परिचय पत्र तैयार किया जाकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदाय करने होंगे।

9. फोटो परिचय पत्र देयक के साथ, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पावती तथा ऑन लाईन फोटो परिचय पत्र निर्माण रिपोर्ट देयक के साथ संलग्न करने होंगे।
10. नये जोड़े गये मतदाताओं के फोटो मर्ज कर मतदाता फोटो परिचय पत्र तैयार करने होंगे।
11. कोरबा जिला स्थित विधानसभाओं के 1049 मतदान केन्द्र के लगभग 7.82 लाख मतदाताओं के मतदाता सूची का मुद्रण कार्य आदेशित मात्रा में समय सीमा में पूर्ण किए जाने हेतु निविदाकार के पास लेजर प्रिंटर उपलब्ध होना चाहिए।
12. प्रदाय साफ्टवेयर के अनुरूप मुद्रण कार्य ए4 साईज 80 GSM J.K. बॉण्ड पेपर में किया जाना होगा।
13. पावती एवं आन लाईन रिपोर्ट के आधार पर ही देयकों का भुगतान किया जावेगा।
14. निविदा प्रपत्र के आवेदन के साथ निविदाकार को निम्नलिखित प्रपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

- अ- पिछले तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति एवं PAN No. की सत्यापित छायाप्रति
ब- टिन नम्बर एवं वाणिज्यकर विभाग से मूल्य सवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 65 के तहत जारी समाषोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
स- वार्षिक टर्नओव्हर के दस्तावेज।
द- अनुभव प्रमाण पत्र।

विवाद की स्थिति में :-

1. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरबा का निर्णय अंतिम होगा। जो कि निविदाकार के लिए मान्य एवं बन्धनकारी होगा।
2. चूंकि यह निविदा कोरबा में होगा अतः किसी भी न्यायालीन विवाद हेतु कार्यक्षेत्र कोरबा के भीतर होगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-कोरबा (छ.ग.)

Part-II

- 1) Details of the Tenderer
 - a) Name of Tenderer (capital letters only).....
.....
 - b) Consistency of the Tenderer (Whether company, partnership, firm or proprietary concern).....
.....
 - c) Registration in corporation of the form
 - d) TAN NO
 - e) PAN NO
- 2) Address (capital letters only)
- 3) Telephone/Fax no
- 4) Details of Experience having for similar type of work
- 5) Demand draft Details (for earnest money deposit)
 - a) Amount in (figures).....
 - b) Amount (in words)
 - c) Drawn at (including Name and Branch of the bank).....
.....
 - d) Draft no
 - e) Draft date

I/We agree to accept the Printing of voter list, Work as per the rates given in part III and in accordance with the JOB SPECIFICATION and TERMS & CONDITION as laid out in the tender document.

Place:

Date:

Signature
(Name Designation and
Office seal of the
authorized Person)

Part - III

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु –निविदा पत्रक

अ. क.	कार्य का विवरण	दर अंकों एवं शब्दों में	उपलब्ध संसाधनों का विवरण	उपलब्ध आपरेटर्स / कर्मचारियों का विवरण
1.	पी.डी.एफ. निर्माण की दर प्रति मतदान केन्द्र के हिसाब से			
2.	मतदान केन्द्रवार वर्किंग प्रतियों का मुद्रण (लेजर प्रिंट) प्रति पन्ना अर्थात् दोनों तरफ मुद्रण की दर			
3.	फोटोयुक्त मतदाता सूची का मुद्रण/ लेजर प्रिंट की दर प्रति पन्ना अर्थात् दोनों तरफ मुद्रण की दर			
4.	आवश्यकतानुसार लेजर प्रिंट की फोटो प्रति करने की दर प्रति पन्ना अर्थात् दोनों तरफ फोटो कापी करने की दर			
5.	मतदाता सूची के डेटाबेस में मतदाता का फोटो स्कैन कर मर्ज करने की दर प्रति फोटो			
6.	मतदाता फोटो परिचय पत्रों को तैयार करना(लेमिनेटेड) प्रति परिचय पत्र की दर			
7.	फोटोयुक्त मतदाता पर्ची सिंगल साईड (परफोरस के साथ)			

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम :-

फर्म का नाम/ पूर्ण पता :-

मोबाईल नम्बर :-